

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 87 / 08 एस0टी0

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
मौ जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियोजन

बनाम

- 1-मन्दू उर्फ केशव सिंह पुत्र थानसिंह राजपूत
उम्र 24 वर्ष निवासी अमायन थाना मौ
- 2-इकलाक खां पुत्र शमशाद खां मुसलमान
उम्र 25 वर्ष निवासी गोरियन टोला मौ
- 3-डब्लू उर्फ डब्लू उर्फ रणविजय सिंह पुत्र
मानसिंह राजपूत, उम्र 42 साल निवासी जारेट
थाना मौ ।
- 4-अखिलेश शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र भोलाराम शर्मा,
उम्र 26 साल, निवासी मघन थाना मौ ।
- 5-अरविंद पचोरी उर्फ सोनू पुत्र सुरेश पचोरी
उम्र 25 साल निवासी अमायन, थाना अमायन
जिला भिण्ड ।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 12-9-14 को घोषित किया गया//

- 1- आरोपीगण डब्लू उर्फ रणविजय एवं मन्दू उर्फ केशव सिंह का विचारण धारा 148,332,307 विकल्प में धारा 307/149 तथा शेष आरोपीगण इकलाक खां, सोनू पचोरी, अखिलेश का विचारण धारा 147,332/149, 307/149 भा0द0सं0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है । उनपर यह आरोप है कि दिनांक 21-3-07 को 19 बजे अंग्रेजी दुकान के सामने स्योंढा रोड मौ भिण्ड में विधि विरुद्ध समूह का सदस्य रहकर जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या के प्रयास का था उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया । जो कि आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय तथा मन्दू उर्फ केशव सिंह के पास घातक आयुध 12 बोर की बंदूक से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने का अभियोग है । उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रधान आरक्षक मौहम्मद खां को लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्यों से निवारित और भयोपरत कारित करने के आशय से

उसे स्वेच्छया उपहति कारित की । आरोपी डब्बू उर्फ रणविजय पर यह उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर मौहम्मद खां एवं भूरा को आग्नेयशस्त्र 12 बोर की बंदूक से प्राणघातक उपहति कारित करने के आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उक्त कृत्य के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते मौहम्मद खां को आग्नेयशस्त्र से उपहति कारित की । शेष आरोपीगण पर यह आरोपी है कि उन्होंने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह आरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध समूह का गठन कर, जिसका कि सामान्य उद्देश्य मौहम्मद खां एवं भूरा को प्राणघातक उपहति कारित करने का था, इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस प्रकार समूह के सदस्य या कुछ सदस्यों के द्वारा बंदूक से फायर कर मौहम्मद खां को उपहति कारित की जो कि समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुये उक्त कृत्य किया गया ।

2— प्रकरण में यह अविवादित है कि प्रकरण में एक सह आरोपी भोला कलार को नावालिग होना बताया है उसे विचारण हेतु बाल न्यायालय भेजा गया है ।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31-3-07 के 19 बजे थाना मौ के प्रधान आरक्षक मौहम्मद खां बस स्टैण्ड पर ड्यूटी पर था । इसी दौरान अंग्रेजी शराब की दुकान पर दो मोटरसायकिल बिना नम्बर की आकर रुकी जिसमें कि आरोपी डब्बू उर्फ रणविजय राजपूत निवासी जारेट, इकलाक खां मुसलमान तथा एक अज्ञात व्यक्ति एक अन्य मोटरसायकिल पर मन्दू राजपूत, कल्लू ब्राम्हण और एक अन्य व्यक्ति आया । उन्होंने कलारी पर बैठे भूरा से कहा कि रिन्कू ने शराब मंगाई थी तुमने शराब क्यों नहीं दी । डब्बू के पास 12 बोर की दुनाली बंदूक और मन्दू के पास 12 बोर की दुनाली बंदूक थी सभी लोग भूरा से गाली गलोच करने लगे । उसने उन लोगों को समझाया तो सभी बोले कि गोली मार दो । आरोपी डब्बू ने जान से मारने की गरज से फायर किया जो उसके बांये जांघ पर पीछे की तरफ लगी जिससे खून निकलने लगा और पेंट में छेद हो गया । मौके पर गवाह जनबेद, प्रहलाद और रामेश्वर ने घटना देखी । फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 17/07 धारा 307,147,148,149,353,332 भा0द0सं0 का पंजीबद्ध किया गया । साक्षियों के कथन लेख बद्ध किये गये इस दौरान यह तथ्य आया कि अज्ञात व्यक्तियों ने जिनमें भोला कलार एवं सोनू पचोरी घटना में शामिल थे । प्रकरण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि न्यायालय के द्वारा भोला कलार व सोनू पचोरी के खिलाफ भी अन्य आरोपीगण के साथ अपराध का संज्ञान लिये जाने का आदेश दिया गया । प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र

न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार कमिटल उपरांत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ

4— आरोपीगण डबबू उर्फ रणविजय सिंह के धारा 148,332,307 विकल्प में धारा [307/149](#) तथा आरोपी मन्टू उर्फ केशवसिंह के विरुद्ध धारा 148,332/149,307/149 भा0द0सं0 का तथा शेष आरोपीगण के विरुद्ध धारा 148,332/149,307/149 भा0द0सं0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाये समझाये गये तो आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गयी ।

5— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया । अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण के द्वारा स्वयं को निर्दोष होना और रंजिश के कारण झूठा फसाये जाने का कथन दिया गया है तथा बचाव में कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है ।

6— आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में मुख्य विचारणीय है कि :-

1—क्या दिनांक 31-3-07 को 19 बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने स्योंढा रोड मौ में आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये जिसका कि सामान्य उद्देश्य बल व हिंसा का प्रयोग करने का था फरियादी मौहम्मद खां पर बल व हिंसा का प्रयोग किया गया ?

2—क्या आरोपी डबबू उर्फ रणविजय एवं आरोपी मन्टू उर्फ केशवसिंह उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जिसका कि सामान्य उद्देश्य हिंसा व बल प्रयोग का था इस दौरान घातक आयुध 12 बोर की बंदूक से सुसज्जित थे जिनसे कि आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने से मृत्यु कारित किया जाना संभाव्य था ?

3—क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादी मौहम्मद खां जो कि लोक सेवक है उसे उसके लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्यों से निवारित करने हेतु विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहते हुये उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुये मौहम्मद खां को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

4—क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी डबबू उर्फ रणविजय के द्वारा फरियादी मौहम्मद खां एवं भूरा को आग्नेयशस्त्र 12 बोर की बंदूक से प्राणघातक उपहति इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में की कि यदि उक्त कृत्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते ?

5—क्या आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुये जिसका कि सामान्य उद्देश्य मौहम्मद खां एवं भूरा को प्राणघातक उपहति कारित करने का इस आशय या ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते इस दौरान बंदूक से फायर कर फरियादी मौहम्मद खां को उपहति

कारित की ?

// निष्कर्ष के आधार //

7- बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 परस्पर जुड़े होने एवं विवेचना की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सभी बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8- डॉ० सुनीता सिंह अ०सा० 10 के अनुसार दिनांक 31.03.07 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना मौ के हेडकास्टेवल मोहम्मद खॉ को शाम को पौने आठ बजे मेडीकल परीक्षण हेतु लाया गया था जिनका मेडीकल परीक्षण किया गया था। आहत के परीक्षण में निम्न चोटें पाई थी- गोली के घाँव का निशान जॉघ के उपरी भाग में पीछे की ओर जो कि वाई जॉघ पर था जिसका आकार 1 इंच लम्बा गुणा आधा इंच चौड़ा तथा खाल की गहराई तक था जिसमें कोई सूजन नहीं थी और कोई कार्वन नहीं था। घाँव में जमा हुआ ब्लड था। आहत के पेंट में तीन छेद चोट के लेबिल में था। गोली के निकलने का निशान नहीं था। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। चोट की गनसोट इंजरी थी। आहत सही आहत में था। चोट परीक्षण के 6 से 8 घण्टे के भीरत आई थी। रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है।

9- इस प्रकार चिकित्सक डॉ० सुनीता सिंह अ०सा० 10 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत प्र०आर० मोहम्मद खॉ के शरीर पर उपरोक्त बताई गई चोट मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या घटना दिनांक को आरोपी/आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य वल और हिंसा के प्रयोग का था इस दौरान प्र०आर० मोहम्मद खॉ पर वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया? क्या आरोपी डब्बू उर्फ रणविजय तथा मंटू उर्फ केशवसिंह इस दौरान घातक आयुधों बंदूक से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया? क्या आरोपी/ आरोपीगण के द्वारा फरियादी प्र०आर० मोहम्मद खॉन जो कि लोक सेवक के नाते अपने लोककर्त्तव्य के निर्वहन में रत था उसके लोक कर्त्तव्य के निर्वहन से विरत करने हेतु मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की? क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा प्र०आर० मोहम्मद खॉ की हत्या करने का प्रयत्न किया?

10- घटना के फरियादी प्र०आर० मोहम्मद खॉ अ०सा० 4 ने अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि दिनांक 31.03.07 को आरक्षी केन्द्र मौ में प्र०आर० गस्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अन्य आरक्षक रामेश्वर के साथ गस्त हेतु बस स्टेण्ड पुलिस चौकी के सामने गया था। बस स्टेण्ड में मौ सेवडा रोड पर दो मोटर साइकिल बगैर नम्बर की जिनमें से एक आरोपी डब्बू जिसे कि वह जानता है, चला रहा था उस पर आरोपी इकलाक बैठा था। दूसरी मोटर साइकिल मंटू चला रहा था जिस पर आरोपी कल्लू उर्फ रणविजय बैठा था जिनको भी

वह जानता है। उक्त लोग मोटरसाइकिलों से मौके पर शराब की दुकान पर पहुँच गए थे तथा यह कह रहे थे कि रिकू ने शराब मंगाई है क्यों नहीं दी। इसी पर से शराब की दुकान पर हुडदंग हो रहा था। वह शराब की दुकान पर पहुँचा तो उसने उक्त लोगों को समझाने की कोशिश की, इतने में आरोपी कल्लू उर्फ रणविजय, मंटू, इकलाक और डब्बू ने कहा कि इसे गोली मार दो। वह आरोपीगण को समझा रहा था। आरोपी डब्बू उर्फ रणविजय ने 12 बोर की इकनाली बंदूक से गोली मारी जो उसकी वाई जॉघ में पीछे की तरफ लगी। गोली घिसटती हुई निकली थी जिससे उसकी पुलिस की बर्दी का पेंट फट गया था। उस समय मौके पर जगदेव यादव, प्रहलाद एवं आरक्षक राममेश्वर थे। घटना कारित कर आरोपीगण घटना स्थल से भाग गए।

11— उक्त साक्षी ने आगे अपने कथन में यह बताया है कि लगभग आधे घण्टे में वह थाना मौ पहुँचा जो कि घटना स्थल से थाना लगभग एक किलो मीटर की दूरी पर है। थाने में उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन उसका मेडीकल परीक्षण करवाया गया था। पुलिस दूसरे दिन मौके पर घटना स्थल पर गई थी। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र.पी. 5 है। पुलिस ने घटना दिनांक को ही उसका कथन लिया था। साक्षी ने यह भी बताया कि उसे बाद में पता लगा था कि घटना में सोनू पचौरी निवासी अमायन तथा भोला कलार भी मौजूद थे जो कि अन्य आरोपीगण के साथ घटना में रहे हैं। उसे घटना के दिन ही रिपोर्ट लिखाने के बाद पता लगा था। सोनू पचौरी और भोला कलार को घटना के पहले से जानता है और आज भी जानता है। उक्त दोनों लोगों ने भी अनुपस्थिति आरोपीगण के साथ उसे गोली मार देने के लिए कहा था। रिपोर्ट में उन्हें अज्ञात के रूप में लिखाया था।

12— घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी भूरे सिंह उर्फ भूरा सिंह अ0सा0 1 ने आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार किया है। साक्षी ने घटना दिनांक को शाम के सात बजे जब वह सेवडा रोड पर स्थिति शराब की दुकान पर बैठा था उस दौरान दुकान के बाहर बवन्दर मचा हुआ था तथा गोली चलना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समग्र रूप से समर्थन नहीं किया गया है। उसे अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी जनवेद अ0सा0 2 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामेश्वर सिंह अ0सा0 3 जो कि घटना के समय आरक्षक के रूप में थाना मौ में पदस्थ थे और फरियादी मोहम्मद खॉ के साथ गस्त में

जाना बताया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 31.03.07 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ होना एवं उक्त दिनांक को शाम के समय थाना मौ की कस्बा ड्यूटी में प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के साथ होने की बात को स्वीकार किया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया कि स्योढा रोड पर भगदड मची थी और उसे पता चला कि प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के पेर में गोली लगी है। आरोपीगण को पहिचानना साक्षी ने स्वीकार किया है। साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कि उक्त घटना आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई है का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए।

14. अभियोजन साक्षी प्रहलाद शिवहरे अ0सा0 8 ने आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि लगभग 5-6 साल पहले शाम के समय उसकी अंग्रेजी शराब की दुकान जो कि स्योढा रोड मौ में है। उसके सुनने में आया कि उसकी शराब की दुकान पर उसके नौकर भूरा से कुछ लोग शराब माँगने के लिए आए थे, शराब न देने पर विवाद हुआ था जिसमें मौ थाने के पदस्थ प्र0आर0 मोहम्मद खॉ ने शराब माँगने वाले बदमाशों को शमझाड़ दी थी तो उनमें से किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। उक्त साक्षी के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समग्र रूप से समर्थन या पुष्टि नहीं नहीं की गई और उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी आरक्षक किशनलाल अ0सा0 5 जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की काउण्टर प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट गोहद के समक्ष पेश की गई जो कि दिनांक 02.04.07 को जावक क्रमांक 766 के जरिए प्रतिलिपि न्यायालय में पेश करना बताया है। साक्षी दीनदयाल अ0सा0 6 तथा मुन्नालाल अ0सा0 7 दोनों ही शीलबंद पोटली की जप्ती के साक्षी हैं, जो कि ए.एस.आई. के.एस.सिकरबार अ0सा0 9 के द्वारा शीलबंद पोटली अस्पताल मौ से लाए जाने पर जप्त किया जाना एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 पर हस्ताक्षर होना उक्त साक्षियों के द्वारा बताया गया है।

16. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी के.एस.सिकरबार अ0सा0 9 के द्वारा दिनांक 31.03.07 को ए.एस.आई के पद पर थाना मौ में पदस्थ थे। उपरोक्त दिनांक को फरियादी मोहम्मद खॉ हेडकॉस्टेवल के द्वारा थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना जो कि नामजद किए गए आरोपी व दो अन्य के विरुद्ध उनके द्वारा अपराध क्रमांक 17/ 07 धारा 307, 147, 148, 149 भा.द.स. का कायम करना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका

तैयार किया गया था जो प्र.पी. 5 है जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने गवाह जनवेद सिंह, प्रहलाद सिंह, किशनलाल एवं साक्षी भूरा के कथन लिए थे। दिनांक 11.05.07 को आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय को गिरफ्तार किया था जिसका गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 8 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय से एक 12 बोर की बंदूक इकनाली जिसका नम्बर 2857 मय कारतूस खोखा के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार किया था।

17. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 एवं प्रदर्श. सी2 के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गए एक 12 बोर की इकनाली बंदूक जो प्रदर्श ए1 के रूप में है चालू हालत में होना पाई गई और इसके बेरल में इसे चलाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12 बोर के कारतूस का खोखा जो कि प्रदर्श ई.सी1 के रूप में है, इसका टैस्ट फायर किए जाने पर ई.सी.1 को बंदूक प्रदर्श ए1 से फायर होना पाया गया। प्रदर्श सी1 जो कि खाकी फुल पेंट पर उपस्थिति गनशॉट के छिद्र है जो कि लडप्रोजेक्टर के लगने से बने हैं। आहत की पेंट के परीक्षण में उस पर ए ग्रुप का मानव रक्त होना पाया गया है।

18. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण के परप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिता एवं उक्त साक्षीगण की साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता पर विचार किया जाना उचित होगा।

19. सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा वर्तमान घटना दिनांक 31.03.07 के 19:00 बजे करीब की होना बताई गई है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 30 मिनट के अंदर 19:30 बजे थाना मौ में प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से घटना घटित होने के संबंध में तथा उक्त घटना में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण डब्लू उर्फ रणविजय, मन्दू, इकलाक मुसलमान तथा कल्लू व अन्य दो के शामिल होने और उनके द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में आया है। जिसमें कि गस्त के दौरान प्र0आर0 फरियादी मोहम्मद खॉ के साथ उक्त घटना कारित होना बताया गया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के युक्तियुक्त समय के अंदर थाने में दर्ज कराई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 फरियादी मोहम्मद खॉ अ0सा0 4 तथा साक्षी के0एस0 सिकरबार अ0सा0 9 जिन्होंने कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 लेखबद्ध की है, के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अंतर्गत थाने में दर्ज कराई है जो कि अभियोजन प्रकरण का एक सकारात्मक पक्ष है।

20. घटना का फरियादी/ आहत मोहम्मद खॉ अ0सा0 4 के कथन के प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि आरोपी के पहुँचने के बाद हल्ला होने पर वह भी तत्काल पहुँच गया था। घटना स्थल पर लाइट जल रही थी। कंडिका 12 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि गोली उसे बॉई जॉघ में लगी थी। कंडिका 15 में बताया है कि आरोपीगण को समझाने के लगभग 5-6 मिनट का समय लगा होगा सभी आरोपीगण एक साथ, एक आवाज में कह रहे थे कि बहुत समझा रहा है गोली मार दो। इसी पेरा में सुझाव के दौरान इस बात से इंकार किया है कि अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही कर रहे थे। गोली जब उसे लगी थी, वह खड़ा था। थाना मौ वह लगभग सात साल पदस्त रहा था। कंडिका 18 में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी कल्लू के तारु हिन्दू-मुस्लिम दंगों में जेल में गए थे। दंगों के कारण रंजिशन आरोपी कल्लू का झूठा नाम लिखवा दिया है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने अपने साथी से गोली चलवाकर झूठा मामला दर्ज किया है।

21. इस प्रकार घटना के फरियादी मोहम्मद खॉ अ0सा0 4 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है, जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपीगण को किसी रंजिश के कारण या अन्य किसी उद्देश्य से झूठा लिप्त किया जा रहा है ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। उक्त साक्षी थाना मौ में सात साल पदस्थ रहना बताया है तथा आरोपीगण जिनके कि आपराधिक प्रकरण थाना मौ में पहले से चल रहे थे उन्हें यदि वह पहिचानता है तो यह अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि पुलिस विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी है तथा घटना के समय वह गस्त पर था जैसे तथ्य को कहीं भी बचाव पक्ष द्वारा चिनौती नहीं दी गई है। यदि गस्त के दौरान उसके समक्ष कोई घटना घटित हो रही हो जिसमें कि कुछ मिलकर घटना स्थल जो कि शराब की दुकान के बाहर है, हुडदंग कर रहे हो तो उन्हें समझाने और वहाँ से चले जाने की समझाईश देना उसका कर्तव्य भी है। उसके द्वारा आरोपीगण को घटना के समय घटना स्थल पर समझाया जा रहा था और उसी अनुक्रम में घटना जिसमें कि उक्त साक्षी के साथ मारपीट एवं उसे जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलाए जाने की घटना घटित हुई। जैसा कि उक्त साक्षी के साक्ष्य कथन से स्पष्ट होता है। मात्र इस आधार पर उक्त साक्षी पुलिस साक्षी कर्मचारी है उसके कथनों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार भी नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट(2013)5 एस.सी.सी. 291** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस कर्मचारी

की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए। यह उपधारणा कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है पुलिस के मामलों में भी लागू होता। विधि का कोई ऐसा नियम नहीं है कि कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अच्छी न्यायिक परिपाटी नहीं है कि बिना अच्छे आधारों के पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर संदेह किया जाए। इस प्रकार साक्षी मोहम्मद खॉ जो कि घटना का आहत भी है उसके कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत पूर्णतः अखण्डनीय रहे हैं, उसके साक्ष्य कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण या आधार परिलक्षित नहीं होता है।

22. यद्यपि अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी भूरे सिंह उर्फ भूरा सिंह अ0सा0 1, जनवेद अ0सा0 2, रामेश्वर सिंह अ0सा0 3, प्रहलाद शिवहरे अ0सा0 8 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समग्र रूप से समर्थन नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्षी भूरे सिंह उर्फ भूरा सिंह अ0सा01 के द्वारा घटना दिनांक को शाम के सात बजे शराब की दुकान पर बैठा होना और दुकान के बाहर बबण्डर मचा होना और गोली चलन बताया है। शेष घटनाक्रम के संबंध में उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी रामेश्वर सिंह अ0सा0 3 जो कि अपने साक्ष्य कथन में यह तथ्य बताया है कि घटना दिनांक 31.03.07 को वह मौ थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को शाम के समय थाना मौ की कस्बा ड्यूटी प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के साथ थी। शराब की दुकान स्योडा रोड पर भगदड़ मची थी और उसे पता चला कि प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के पेरे में गोली लगी है। उक्त साक्षी यद्यपि पुलिस विभाग का सेवानिवृत्त प्र0आर0 है, किन्तु उसके द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों से अभियोजन प्रकरण का सम्पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि उसके साक्ष्य कथन में स्पष्ट तौर से यह आया है कि घटना के समय प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के साथ उसकी ड्यूटी थी जो कि शराब की दुकान स्योडा रोड मौ पर भगदड़ मची थी और इस दौरान मोहम्मद खॉ को पेरे में गोली लगी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रहलाद शिवहरे अ0सा0 8 के द्वारा भी यह बताया गया है कि प्र0आर0 मोहम्मद खॉ ने शराब मॉगने वाले बदमाशों को समझाइश दी थी तो उनमें से किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। यद्यपि घटना किन-किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी इसकी जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

23— निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण ने अभियोजन प्रकरण का किन्हीं अज्ञात कारणों से समर्थन नहीं किया गया है और वह पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। पक्षद्रोही साक्षी के कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में **सतपाल सिंह विरुद्ध देल्ही एडमिनिशट्रेशन, ए.आई.आर 1976 एस.सी. 294** में यह

प्रतिपादित किया गया है कि पक्षद्रोही घोषित किए गए साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह अविश्वसनीय मान लेने का कोई उचित आधार नहीं है, अतः उसकी साक्ष्य का कुछ भाग विश्वास योग्य है या उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती हो तो उस भाग को माना जा सकता है। इसी प्रकार स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध चेताराम ए.आई.आर 1989 एस.सी. 1543 में यह अभिनिर्धारित किया गया है यदि कोई गवाह पक्षद्रोही हो गया हो तो इस कारण उसकी पूरी साक्ष्य वाश आउट या निरर्थक नहीं हो जाती है। **तूफान सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2005(1) एम.पी.एल.जे. 412** माननीय न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि उसके साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन के मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

24. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षियों जो कि पक्षद्रोही रहे हैं के कथनों से इस तथ्य की समपुष्टि होती है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर जो कि शराब की दुकान स्योडा रोड मौ में है शाम के सात बजे घटना घटित हुई थी जिसमें गोली चली थी और उक्त गोलीबारी की घटना में प्र0आर0 मोहम्मद खॉ को गोली की चोट आई थी।

25. फरियादी मोहम्मद खॉ अ0सा0 4 के कथन की सम्पुष्टि जो कि घटना में उसे गनशॉट से चोट आने बावत अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सिंह अ0सा0 10 के कथनों से होती है, जिनके द्वारा आहत मोहम्मद खॉ को वाई जॉघ के उपरी भाग में पीछे की ओर एक इंच लम्बा और आधा इंच चौड़ा तथा खाल की गहराई तक चोट पाया जाना और आहत के पेंट में छेद चोट के लेविल में पाया जाना बताया है जो कि गनशॉट की इंजुरी आहत को होना बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक के द्वारा यह बताया गया है कि वह नहीं बता सकती कि गोली किस गन से मारी गई है। निश्चित तौर पर चिकित्सक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि गोली किस प्रकार की गन से मारी गई है वह बता सके। उक्त गोली की चोट प्राणघातक होने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर प्राणघातक की चोट न होने की बात को चिकित्सक के द्वारा स्वीकार किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा आहत के शरीर में पाई गई चोट को प्राणघातक होने नहीं पाया गया है कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चित तौर से आहत को गोली से मारा जाना और चोट उसके शरीर में पाया जाना चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट होता है।

26. विवेचना अधिकारी के.एस. सिकरबार जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि प्र.पी. 4 है, अपराध क्रमांक 17/ 07 थाना मौ में कायम किया तथा प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 5 तैयार करना, उस पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित

किया है तथा दिनांक 10.04.07 को शीलबंद पोटल अस्पताल मौ से लाया जाने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार करना भी बताया है जो कि उक्त पोटल की जप्ती साक्षी दीनदयाल शर्मा अ0सा0 6 तथा मुन्नालाल अ0सा0 7 के कथन से भी प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 8 तैयार करना बताया है। आरोपी से 12 बोर की एकनाली बंदूक एवं खोखा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार करना जिस पर कि ए से ए भाग पर हस्ताक्षर करना बताया है एवं साक्षियों के कथन जिसमें फरियादी मोहम्मद खॉ और साक्षी रामेश्वर सिंह एवं अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना बताया है।

27. विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है विवेचना अधिकारी के द्वारा फरियादी से हिबद्ध होकर अथवा आरोपीगण से किसी रंजिशबश या प्रवांग्रह से ग्रसित होकर विवेचना की कार्यवाही की है, ऐसा कानने का कोई आधार नहीं है। विवेचना अधिकारी के द्वारा आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय से 12 बोर की एकनाली बंदूक जप्त की जानी बताई है, किन्तु बंदूक की जप्ती के संबंध में यद्यपि जप्ती के अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं, किन्तु विवेचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से बंदूक की जप्ती की जानी बताई जा रही है और उक्त बंदूक के संबंध में लाइसेंस की फोटोकॉपी भी आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय के द्वारा पेश की गई है। इस प्रकार उक्त आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय से बंदूक तथा खोखा की जप्ती का तथ्य भी प्रमाणित है।

28. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना में जप्तशुदा 12 बोर की एक बंदूक चालू हालत में थी और उसके बेरल में एक चलाए जाने के अवशेष मिले थे। जप्तशुदा खोखा ई.सी. 1 को उक्त बंदूक प्रशर्द ए1 से फायर किया जाना भी अभिमत में स्पष्ट आया है। जप्तशुदा खाखी फुल पेंट पर गनशोट के छिद्र जो कि लेड प्रोजेक्टरल से बना होना भी अभिमत में आया है। जप्तशुदा पेंट के परीक्षण में पेंट में ए ग्रुप का मान रक्त होना भी आया है।

29. अभियोजन के द्वारा घटना के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदज किये गए 4 आरोपीगण डब्लू उर्फ रणविजय, मंटू, इकलाक एवं कल्लू ब्राम्हण के अतिरिक्त अन्य दो लोगों के घटना स्थल पर मौजूद होने के संबंध में आया है। इस बिन्दु पर फरियादी मोहम्मद खॉ के न्यायालयीन कथन में यह बात आई है कि उसे बाद में पता चला कि मामले में सोनू पचौरी निवासी अमायन तथा भोला कलार (जो कि नावालिक होने कारण बाल न्यायालय भेजा गया है।) का भी मौजूद था।

30. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किये गए चार

आरोपियों के अतिरिक्त दो अन्य लोगों के घटना में शामिल होने के बारे में आया है। इस संबंध में फरियादी मोहम्मद खॉ के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि आरोपी सोनू पचोरी को वह घटना के पहले से जानता था पर रिपोर्ट में उसे अज्ञात के रूप में लिखा था, क्योंकि उस समय उसे समझ में नहीं आया था कि किस-किस ने जान से मारने की बात कही है। निश्चित रूप से आरोपी सोनू पचोरी के संबंध में बाद में उसे पता चलने के बारे में जो कथन फरियादी के द्वारा किया जा रहा है इस संबंध में कि आरोपी सोनू पचोरी के घटना में शामिल होने के बारे में किसी के द्वारा उन्हें बताया गया ऐसा कहीं भी उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी जो कि घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होना बताया गया है, उन्होंने भी आरोपी सोनू पचोरी के घटना स्थल पर अन्य सहआरोपीगण के साथ मौजूद होने या उसके द्वारा भी कोई कृत्य किए जाने का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी अन्य सहआरोपीगण के साथ विचारित किये जा रहे आरोपी सोनू पचोरी जिसके घटना में शामिल होने बावत् बाद में पता चलना फरियादी मोहम्मद खॉ अ0सा0 4 के द्वारा बताया जा रहा है, किन्तु उसे बाद में किस प्रकार से पता चला ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त जब फरियादी आरोपी सोनू पचोरी को घटना के पहले से जानता था जैसा कि उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है तथा वह भी अन्य आरोपी के साथ घटना में सहयोग कर रहा था तो उसके नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में आना चाहिए।

31. इस प्रकार जहाँ तक विचारित किये जा रहे आरोपी सोनू पचोरी के घटना में शामिल होने का प्रश्न है, इस संबंध में न तो फरियादी ने उक्त साक्षी की कोई शिनाख्ती की कार्यवाही करवाई गई है और न ही कोई ऐसा साक्ष्य आया है कि उक्त आरोपी के घटना में संलग्न होने बावत् फरियादी को बाद में कैसे पता चला था। अन्य किसी साक्ष्य के आधार पर भी उक्त आरोपी सोनू पचोरी को घटना में संलग्न होना प्रमाणित नहीं होता है।

32. जहाँ तक घटना में शामिल व्यक्तियों की संख्या एवं उनके द्वारा घटना कारित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण जिनका कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख आया है— डब्बू उर्फ रणविजय, मंटू, इकलाक एवं कल्लू के अतिरिक्त दो अन्य लोगों के द्वारा घटना स्थल पर मौजूद होने एवं उनके द्वारा फरियादी मोहम्मद खॉ के साथ घटना कारित किए जाना आया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त चार लोगों के अतिरिक्त अन्य दो अज्ञात लोग भी घटना में शामिल थे। इस प्रकार घटना के समय 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा घटना स्थल पर मौजूद होना आई हुई साक्ष्य आधार पर प्रमाणित है जो कि विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना

और आरोपीगण के उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना भी प्रमाणित है।

33. बचाव पक्ष के द्वारा अपने साक्ष्य बचाव में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि घटना का समर्थन किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी के कथनों से नहीं होता है, एक मात्र फरियादी के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है। मात्र फरियादी के कथनों पर विश्वास करते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। ऐसी दशा में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाना या विधिवि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उकसे सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। आहत मोहम्मद खॉ को आई हुई चोट चिकित्सक के द्वारा साधारण प्रकृति की होना स्वीकार की है, ऐसी दशा में जब कि चिकित्सक के द्वारा चोट साधारण प्रकृति की होना बताई जा रही है धारा 307 भारतीय दण्ड विधान का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फरियादी मोहम्मद खॉ को घटना के समय में शासकीय कार्य में रत होने के संबंध में कोई प्रमाण भी पेश नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोग का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

34. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि घटना के संबंध में फरियादी मोहम्मद खॉ के अतिरिक्त अभियोजन के अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी/ आहत मोहम्मद खॉ के अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा घटना के समय मौजूद बताये गए अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु फरियादी मोहम्मद खॉ जो कि घटना का आहत भी है उसके प्रतिपरीक्षण उपरान्त उसके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण होना भी नहीं पाया गया है। घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी प्रमाणित है। उसके द्वारा आरोपीगण को रंजिशन फंसाया जा रहा है ऐसा भी कोई आधार नहीं है। **धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के तहत किसी मामले में किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं की गई है। एक मात्र साक्षी यदि विश्वास योग्य होना पाया जाता है तो उसके कथनों पर विश्वास करते हुए दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल(2003)1 एस. सी.सी. 465** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षियों की संख्या की मात्रा नहीं अपितु गुणवक्ता देखी जानी चाहिए और यदि एक मात्र साक्षी की साक्ष्य पूरी तरफ विश्वसनीय पाई जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

35. बचाव पक्ष की ओर से लिया गया अन्य आधार कि घटना के समय विधि विरुद्ध जमाव

का गठन होने एवं उसके सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घटना कारित किए जाने का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद रूप से कुल 4 आरोपीगण के नाम का उल्लेख था, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त चार आरोपीगण के अतिरिक्त 2 अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद थे। इस प्रकार घटना के समय घटना स्थल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए चार आरोपियों के अतिरिक्त दो अन्य लोगों के भी घटना में शामिल होना स्पष्ट आया है। फरियादी के कथन में भी उक्त चार लोगों के अतिरिक्त दो अन्य लोगों के घटना में शामिल होने और घटना कारित किए जाने के बारे में बताया गया है। इस संबंध में यद्यपि विचारित किये जा रहे आरोपी सोनू पचोरी के संबंध में पूर्व में की गई विवेचना के आधार पर घटना में उसके शामिल होने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया है, किन्तु पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि घटना के समय घटना कारित करने वाले सदस्य पांच या पांच से अधिक थे। यद्यपि इस संबंध में आरोपी सोनू पचोरी के घटना में शामिल होने के तथ्य को प्रमाणित होना नहीं पाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि सोनू पचोरी कि घटना स्थल पर मौजूद होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है घटना में चार नामजद आरोपीगणों के अतिरिक्त अन्य आरोपियों के जो कि संख्या में 5 या 5 से अधिक थे शामिल होने बावत् स्पष्ट साक्ष्य आई है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि एक आरोपी की पहिचान और मौजूदगी स्पष्ट नहीं हुई, किन्तु घटना में शामिल लोगों की संख्या पांच या पांच से अधिक होनी पाई गई है, इस आधार पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने एवं इसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उनके द्वारा कृत्य किए जाने बावत् प्रमाणित तथ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इस संबंध में **1953 ए.आई.आर एस.सी. 364 दिलीप सिंह** उल्लेखनीय है। धारा 149 लागू करने के लिए कुल कृत्य किया जाना आवश्यक नहीं है मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहना ही पर्याप्त है। जैसा कि इस संबंध में **2008 सी.आर.एल.जे 696** उल्लेखनीय है।

36. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि घटना में आहत मोहम्मद खॉ को केवल साधारण चोट आई है जिस कारण धारा 307 भारतीय दण्ड विधान की परिधि में अपराध नहीं आता है। धारा 307 भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए घटना के समय आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियाँ मुख्य रूप से विचारणीय होती है। उक्त कृत्य इस आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थिति में किया जाए कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभावित है तो अपराध धारा 307 भारतीय दण्ड विधान की परिधि में आ जाता है। धारा 307 भारतीय दण्ड विधान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो। जैसा कि इस संबंध में **2008 सी.आर.एल.जे. 3869 स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध**

इमरथ बगैरह तथा **ए.आई.आर 2008 एस.सी.डब्ल्यू 885 सचिन जैना विरुद्ध स्टेट ऑफ बेस्ट** बंगाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है कि आरोपीगण के द्वारा पहले यह कहा गया कि गोली मार दो और तत्पश्चात् उनके द्वारा फरियादी/ आहत पर गोली चलाई गई जो कि निश्चित रूप से आरोपीगण का आशय एवं ज्ञान कि वह आहत की मृत्यु कारित करना चाहते हैं स्पष्ट होता है। इस परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया उक्त आधार भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है।

37. बचाव पक्ष के द्वारा अन्य आधार यह भी लिया गया है कि घटना के संबंध में प्र0आर0 मोहम्मद खॉ के शासकीय कार्य में रत होने के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में यद्यपि फरियादी का ड्यूटी प्रमाणपत्र पेश व प्रमाणित नहीं है, किन्तु फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरंत पश्चात् दर्ज कराई गई है, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख आया है कि वह गस्त पर गया था और उसके साथ में आरक्षक रामेश्वर सिंह भी था। फरियादी के घटना स्थल पर गस्त हेतु मौजूदगी के तथ्य को उसके प्रतिपरीक्षण में कहीं चुनौती भी नहीं दी गई है। साक्षी रामेश्वर सिंह अ0सा0 3 ने भी स्पष्ट तौर से उक्त दिनांक मोहम्मद खॉ के साथ कस्बा ड्यूटी पर होने की बात बताई जो कि इस बिंदु पर उसका कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है, उक्त तथ्य भी अखण्डनीय रहा है। इस प्रकार घटना के समय फरियादी थाना मौ में प्र0आर0 के रूप में पदस्थ दौरान कस्बा ड्यूटी हेतु जाना एवं इस दौरान घटना घटित होना जब साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। मात्र इस आधार पर कि अलग से कोई ड्यूटी प्रमाणपत्र पेश या प्रमाणित नहीं है इससे विपरीत मानने का कोई आधार नहीं हो सकता।

38. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपीगण मंटू उर्फ केशव सिंह, इकलाक खॉ, डबबू उर्फ रणविजय एवं अखिलेश शर्मा व अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर जो कि शराब की दुकान मौ स्योडा रोड पर दुकान के बाहर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया और उस जमाव के सदस्य रहे जिस दौरान कि आरोपी डबबू उर्फ रणविजय तथा मंटू के घातक आयुध बंदूकों से सुसज्जित थे तथा इस दौरान उक्त आरोपीगण के द्वारा वल व हिंसा का प्रयोग किया जाना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त घटना दिनांक को उक्त आरोपीगण के द्वारा फरियादी मोहम्मद खॉ जो कि लोक सेवक के रूप में अपने कार्य में रत था उसे उसके कार्य से भयोपरत करने हेतु उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किए जाने का तथ्य भी प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित है। घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा

फरियादी मोहम्मद खॉ पर इस आशय या ज्ञान, ऐसी परिस्थितियों में उसे जान से मारने की नियत से गोली चलाया जाना कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते यह तथ्य भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से प्रमाणित है जो कि आरोपी डबबू उर्फ रणविजय के द्वारा जान से मारने की नियत से फरियादी मोहम्मद खॉ को बंदूक से गोली मारी गई और इस संबंध में अन्य सहआरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त कृत्य किया जाना प्रमाणित है। उक्त घटना में साक्षी भूरे उर्फ भूरा सिंह को कोई उपहति कारित होना या उसके साथ कोई घटना कारित होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है।

39. तदनुसार आरोपी डबबू उर्फ रणविजय को धारा 148, 332 एवं 307 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी मंटू उर्फ केशव सिंह को धारा 148, 332/ 149, 307/ 149 एवं आरोपीगण इकलाक खॉ तथा अखिलेश शर्मा को धारा 147, 332/ 149 एवं 307/ 149 भा.दं.वि के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी सोनू पचोरी को धारा 147, 332/ 149, 307/ 149 भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

40. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।
मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

41— उपस्थित आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया । उनका निवेदन है कि आरोपीगण काफी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं । ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

42— उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपीगण जिनके द्वारा कि प्रधान आरक्षक मौहम्मद खां जो कि एक लोक सेवक है उसके साथ घटना कारित की गयी है । आरोपीगण के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति, तथ्यों एवं प्रकृति को देखते हुये आरोपीगण को निम्न

तालिका अनुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

आरोपी का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ।
मन्टू उर्फ केशवसिंह	148 भा०द०सं०	दो वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	332/149	दो वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	भा०द०स० 307/149 भा०द०सं०	सात वर्ष सश्रम	2000/-रु	6 माह का सश्रम
इकलाक खां	147 भा०द०सं०	एक वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	332/149	दो वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	भा०द०स० 307/149 भा०द०सं०	सात वर्ष सश्रम	2000/-रु	6 माह का सश्रम
अखिलेश शर्मा उर्फ कल्लू	147 भा०द०सं०	एक वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	332/149	दो वर्ष सश्रम	500/-रु	3 माह का सश्रम
	भा०द०स० 307/149 भा०द०सं०	सात वर्ष सश्रम	2000/-रु	6 माह का सश्रम

43- आरोपीगण को प्रकरण में प्रदाय की गयी उक्त सभी धाराओं में प्रदाय मूल सजायें साथ साथ भुगतायी जाने का आदेश दिया जाता है । प्रकरण के विचारण, अनुसंधान, जांच के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गयी अवधि मूल सजा में मुजरा की जाये । इस संबंध में धारा 428 द०पं०सं० का प्रमाणपत्र तैयार किया जाये ।

44- प्रकरण में जप्त सुदा 12 बोर रायफल जिसके संबंध में आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय की लायसेंस की छाया प्रति पेश है उक्त जप्त सुदा रायफल प्रभावी एवं बैध लायसेंस पेश करने पर अपील अवधि पश्चात् उसे वापिस की जाये । शेष जप्त सुदा संपत्ती पोटली एवं पेकिट मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात् वापिस की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड